जिला गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

सधारण अंक 06 / 2021	विक्रम संवत् 2077–78	10(शु0) चैत्र 1943 (शा0) जमशेदपुर, गुरूवार, 22 / 04 / 2021

राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड द्वारा पारित आदेश को प्रकाशन।

विषय सुची	पृष्ट संख्या
जिला पंचायत राज पदाधिकारी,जमशेदपुर द्वारा निकाले गये राज्य निर्वाचन आयोग झारखण्ड, रॉची द्वारा पारित आदेश का प्रकाशन।	01–02

झारखण्ड गजट (असाधारण) के
आगामी अंक में प्रकाशनार्थ
जिला गजट के आगामी अंक
में पुनः प्रकाशनार्थ

राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड

'निर्वाचन भवन'

न्यू मार्केट चौक, रातू रोड, रॉची – 834001

Website : secjharkhand.nic.in
Email : jsec-jhr@nic.in
दूरभाषः 0651–2284012 / 2284008 / 6457479
फैक्सः 0651–2284002 / 2280287 / 2280932

पत्रांकः–03नि0प0–06 / 2019 रा0नि0आ0.... रॉची, दिनांक......................

आदेश

यतः राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट जिला से त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन, 2018 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है, स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65क 'क' सहपठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्यधीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथा दर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहा है ;

और यतः उक्त अभ्यर्थी / अभ्यर्थियों ने सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिए गए अभ्यावेदनों पर (यदि कोई हो) विचार करने के पश्चात् राज्य निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त या न्यायौचित्य कारण नहीं है ;

अतः इस संबंध में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के प्रतिवेदन / अनुपूरक प्रतिवेदन एवं अभ्यर्थियों से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त अब राज्य निर्वाचन आयोग, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क, सहपठित झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा 68क एवं 65 'क' 'क' के अनुसरण में संलग्न सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को त्रिस्तरीय पंचायत निकायों / स्थानीय नगर निकायों के किसी भी पद या स्थान के लिए चुने जाने और निर्वाचित होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित किया जाता है।

क्रमांक	जिला	निर्वाचन क्षेत्र	नाम एवं पता	कारण
1	2	3	4	5
1	पूर्वी सिंहभूम	XXIV पूर्वी सिंहभूम–(19)	ठाकुर हाँसदा, ग्राम–भदुवा, मुसाबनी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2		XXIV पूर्वी सिंहभूम–(19)	देवराय हाँसदा, ग्राम–विक्रमपुर, मुसाबनी	निर्वाचन व्ययों की लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश से,
ह0/–
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक:–03नि0प0–06/2019 रा0नि0आ0.... 183 राँची, दिनांक 12/3/2021

प्रतिलिपि:– 1. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि आयोग के उक्त आदेश को झारखण्ड गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।

2. नोडल पदाधिकारी, ई0पी0एस0, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। (रजिस्टर्ड ए.डी. सहित)

3. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को दो अतिरिक्त प्रतियों सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि राज्य निर्वाचन आयोग का यह आदेश जिला गजट के अगले अंक में प्रकाशित करा दी जाए। आयोग के इस आदेश को अन्तर्विष्ट करने वाले गजट की दो प्रतियाँ जैसे ही प्रकाशित हो, आयोग को भेज दी जाए।

4. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम को आदेश की दो अतिरिक्त प्रतियों सहित, इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि आदेश की एक प्रति सूचनापट्ट पर प्रदर्शित की जाए। संबंधित व्यक्ति को भी आयोग के इस आदेश से अवगत करा दिया जाए।

5. संबंधित अभ्यर्थी को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–

संयुक्त संचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग,
झारखण्ड, राँची।